

न्यायालय:- प्रथम अपर दुर्घटना दावा अधिकरण अलीराजपुर (म0प्र0)
(समक्ष:-सी.एम. उपाध्याय, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश एवं एकल सदस्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक:-18/2015

संस्थित दिनांक:-21/10/2013

सी.आई.एस. नं.-235001002302013

1. भेरुसिह पिता गपसिह चौहान, भीलाला, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती,
2. श्रीमती झुमाबाई पति भेरुसिह चौहान, भीलाला, उम्र 38 वर्ष, पेशा ग्रहकार्य,
3. राकेश पिता भेरुसिह चौहान, भीलाला, उम्र 18 वर्ष,
निवासी ग्राम फाटा, तह. व जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

.....आवेदकगण

// विरुद्ध //

1. मोहरसिह उर्फ मोदसिह पिता रामगोपाल राठौर, उम्र 34 वर्ष, पेशा ड्रायवर,
निवासी 126 अशोक गार्डन भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.)
2. गुरुचरनसिह पिता मोतीसिह,
निवासी 305 गेलेक्सी काम्प्लेक्स, एच.पी. गैस एजेन्सी के पास,
मण्डीदीप रायसेन (म.प्र.)
3. दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
स्टेशन रोड रतलाम (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा	:-श्री नितीन वाणी अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र. 1 द्वारा	:-पूर्व से एक पक्षीय ।
अनावेदक क्र. 2 द्वारा	:-श्री राजेन्द्र वाणी अधिवक्ता ।
अनावेदक क्र. 3 द्वारा	:- श्री अनूप शर्मा अधिवक्ता ।

:-अधिनिर्णय:-

(आज दिनांक 11/07/2016 को घोषित)

01- आवेदकगण ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत यह आवेदन, दिनांक 08.09.13 को हुई दुर्घटना में हरदास की मृत्यु के फलस्वरूप उन्हें कारित क्षति की राशि 15,000,00 रु. 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है।

02- आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.13 को 03 बजे के लगभग जब उनका पुत्र मृतक हरदास पैदल अपने गांव फाटा की ओर जा रहा था तभी नानपुर की तरफ से अनावेदक क्र. 1, अनावेदक क्र. 2 के स्वत्व का ट्रक क्र. पी.बी.-11-ए.ई.-9466 को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए आया और मृतक हरदास को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मृतक को गंभीर चोट आई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए अनावेदकगण संयुक्त रूप से और पृथक से जिम्मेदार हैं। अतः उसने अनावेदकगण से पन्द्रह लाख रु. क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की

हैं।

03— अनावेदक क. 2 ने अपने जवाबदावा में आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि उसे दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसके स्वत्व के वाहन का झूठा नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखवा दिया गया है। आवेदकगण उससे कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः उसके विरुद्ध आवेदन निरस्त किया जावे।

04— अनावेदक क. 3 ने अपने जवाबदावे में कहा है कि आवेदक ने अपनी उम्र और आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। आवेदकगण ने क्षतिपूर्ति की राशि मनगढ़ंत रूप से बहुत अधिक बताया है। विशेष कथन में उसने कहा है कि आवेदकगण के द्वारा अधिक क्षतिपूर्ति पाने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। वाहन स्वामी के पास दुर्घटना दिनांक को परमिट और फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं था। वाहन को बीमा पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था। दुर्घटना मृतक की लापरवाही के कारण घटित हुई थी। दुर्घटना सड़क की खराबी और वाहन की खराबी से हुई थी। अतः उसने आवेदन संव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

05— अनावेदक क. 1 के तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण आदेश पत्रिका दिनांक 16.04.14 के द्वारा उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

06— उभयपक्ष के अभिवचन के आधार पर इस न्यायालय के विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा मामले के उचित निराकरण के लिए दिनांक 15.07.15 को निम्नलिखित वाद प्रश्न की रचना की गई, जिन पर साक्ष्य के विश्लेषण के बाद निम्नानुसार निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं—

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 08.09.13 को करीब 03:00 बजे ग्राम नानपुर मोरी फलिया फाटक दगड़ा के.बी. रोड़ पर अनावेदक क. 01 द्वारा अनावेदक क. 2 के स्वामित्व की ट्रक क. पी.बी.-11-ए.ई.-9466 को तेजी अथवा लापरवाही पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की ?	"साबित हुआ"
2.	क्या उक्त दुर्घटना में मृतक हरदास को चोटे आई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई ?	"साबित हुआ"
3.	क्या अनावेदक क. 1 के पास घटना के समय वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था—प्रभाव ?	"साबित हुआ"
4.	क्या अनावेदक क. 1 के द्वारा वाहन का चालन बीमा पालिसी की शर्तों एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के विपरित किया जा रहा था—प्रभाव ?	"साबित हुआ"
5.	क्या आवेदकगण प्रतिकर राशि पाने के पात्र हैं, यदि हाँ तो किससे व कितनी ?	3,85,000/-क्षतिपूर्ति करने के अधिकारी हैं
6.	अनुतोष एवं व्यय ?	कंडिका 38 अनुसार

// सकारण निष्कर्ष //

वाद प्रश्न क. 1 व 2 का सकारण सहित निष्कर्ष-

07— उर्पयुक्त दोनो वाद प्रश्न एक दुसरे संबंधित होने के कारण उनके संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है।

08— आवेदक भेरुसिह (आ.सा.-1) ने अपने शपथ पत्र के कथन में बताया है कि दो वर्षपहले उसका पुत्र हरदास पैदल घर आ रहा था, तभी दिन के 3 बजे ग्राम नानपुर मोरी फलिया फाटला दगड़ा के.बी. रोड़ पर नानपुर की तरफ से आ रहे ट्रक चालक अनावेदक क. 1 ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाकर हरदास को गंभीर चोटे कारित की थी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना नानपुर में दर्ज कराई थी तथा उसके पुत्र का पी.एम. शासकीय चिकित्सालय नानपुर में हुआ था। आवेदक के कथन का समर्थन मेहरसिह (आ.सा.-2) के शपथ पत्र के कथन से भी होता है। दुर्घटना घटित होने के संबंध में यह दोनो साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुए हैं।

09— आवेदक के कथन का समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत संबंधित दांडिक प्रकरण के अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रति प्रपी-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-2, नक्शा मौका प्रपी-3, जप्ती पत्रक प्रपी-4 व 5 तथा अनावेदक क. 1 के गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-6 से भी होता है। प्रपी-2 के अनुसार इस मामले की घटना दिनांक 08.09.13 को 03 बजे की आवेदक भेरुसिह के बताये हुए स्थान की है। दुर्घटना अनावेदक क. 2 के वाहन से भी घटित हुई थी, इस तथ्य का समर्थन प्रपी-4 के जप्ती पत्रक से होता है जिसके द्वारा वाहन क. पी.बी.-11-ए.ई.-9466 की जप्ती दुर्घटना में की गई थी। अनावेदक क. 2 के भाई भुपेन्द्रसिह पिता मोतीसिह के द्वारा भी प्रपी-8 के आवेदन से जप्तशुदा ट्रक सुपुर्दनामा पर लिया गया था। इस दुर्घटना में आवेदक भेरुसिह के पुत्र हरदास की मृत्यु होने का समर्थन उसके द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत प्रपी-7 के शव परीक्षण प्रतिवेदन से भी होता है।

10— उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना तथा दस्तावेजों के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि दिनांक 08.09.13 को 03 बजे ग्राम नानपुर मोरी फलिया फाटला दगड़ा के.बी. रोड़ के पास अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन ट्रक क.-पी.बी.-11-ए.ई.-9466 को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी तथा उक्त दुर्घटना में मृतक हरदास की मृत्यु कारित हुई थी। अतः वाद प्रश्न क. 1 व 2 का निष्कर्ष "साबित हुआ" के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क. 3 एवं 4 का सकारण सहित निष्कर्ष

11— वाद प्रश्न क. 3 व 4 को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क. 3 पर है। इस संबंध में अनावेदक क. 3 के निवेदन पर भोपाल में परिवहन कार्यालय में पदस्थ लिपिक श्याम यादव (अना. सा.

—1) के कथन कमीशन पर कराया गया है। श्याम यादव (अना. सा.—1) ने अपने कथन में बताया है कि वह भोपाल में लायसेंस शाखा में पदस्थ है। लायसेंस क्र. एम.पी.—04—आर.—2010—0149010 मोदसिंह पिता रामगोपाल निवासी अशोक नगर भोपाल के नाम से जारी किया गया है। इस लायसेंस के कम्प्युटर से मूल अभिलेख के अनुसार इसे मोटर सायकल एवं हल्का मोटरयान, नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए दिनांक 15.10.2001 से दिनांक 14.10.2019 तक के लिए जारी किया गया था। इस लायसेंस के द्वारा चालक को एच.टी.वी. वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। आर.टी.ओ. भोपाल का कम्प्युटरीकृत लायसेंस प्रडी—1 है जिस पर आर.टी.ओ. संजय तिवारी के हस्ताक्षर हैं।

12— अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी श्याम यादव (अना. सा.—1) ने यह स्वीकार किया है कि उसके कार्यालय में कम्प्युटरीकृत अभिलेख वर्ष 2001 से अब तक का है। अनावेदक क्र. 1 का ड्रायविंग लायसेंस भी वर्ष 2001 में ही दिनांक 15.10.2001 को जारी किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 के ड्रायविंग लायसेंस का अभिलेख भोपाल के परिवहन कार्यालय में होने के बावजूद उसमें इस आशय की प्रविष्टि नहीं है कि अनावेदक क्र. 1 एच.टी.वी. वाहन चलाने में सक्षम है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में यह भी स्वीकार किया है कि लायसेंस नवीनीकरण का फार्म भी इंटरनेट से प्रिन्ट होकर आता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि लायसेंस क्र. एम.पी.—04—आर.—2010—0149010 का नवीनीकरण प्रदेश के किसी भी जिले से कम्प्युटर के माध्यम से किया जाता है तो उसका उल्लेख और प्रविष्टि भोपाल स्थित कार्यालय में भी होती। परन्तु उपरोक्त साक्षी के कथन से यही प्रकट होता है कि लायसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ था।

13— बीमा कंपनी की ओर से कृष्णराव (अना.सा.—2) ने अपने शपथ पत्र के कथन में बताया है कि वह न्यू इंडिया इं. कं. लि. के रतलाम कार्यालय में माईको ब्रांच का प्रभारी है। इस मामले से संबंधित वाहन पी.बी.—11—ए.ई.—9466 का बीमा उनकी कंपनी के द्वारा पालिसी क्र. 45210131120100001669 के द्वारा दिनांक 12.12.12 से 11.12.13 तक के लिए हुआ था। इस मामले में दुर्घटना दिनांक 08.09.13 को घटित हुई थी तथा उस समय अनावेदक क्र. 1 जो वाहन चला रहा था उसके पास वैध और प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। ऐसी स्थिति में बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया था तथा बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। संबंधित पालिसी साक्षी ने प्रडी—2 के रूप में प्रस्तुत किया है। आवेदक के द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में भी उसने स्वीकार किया है कि पालिसी की शर्तों का उल्लंघन करने पर बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं रहती। इस प्रकार भी यह साक्षी भी प्रतिपरीक्षण में खंडित नहीं हुआ है।

14— अनावेदक क्र. 1 के द्वारा अभिलेख पर जिस लायसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है वह प्रथमतः भोपाल परिवहन कार्यालय से दिनांक 15.10.2001 को हल्के मोटरयान के लिए जारी किया गया

था, जिसकी पुष्टि श्याम यादव (अना.सा.-1) के कथन से भी होती है। दिनांक 10.06.16 को हुए उसके कथन में यह भी बताया गया है कि भोपाल परिवहन कार्यालय वर्ष 2001 से कम्प्यूटरीकृत हो चुका है। ऐसी स्थिति के बावजूद उसके द्वारा यह भी कहा गया है कि अनावेदक क्र. 1 प्रडी-1 के लायसेंस के द्वारा एच.टी.व्ही. वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह कहा है कि जिस लायसेंस की छायाप्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसका एच.टी.व्ही. वाहन चलाने का विस्तार राजगढ़ परिवहन कार्यालय से हुआ है। इस तथ्य को अनावेदक क्र. 1 ने साबित नहीं किया है, जो छायाप्रति अभिलेख पर प्रस्तुत है उसमें जिस स्थान पर उसे जारी करने वाले हस्ताक्षर हैं वहां कोड भोपाल परिवहन कार्यालय का अंकित है।

15— प्रस्तुत ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति में लायसेंस का क्रमांक भी एम.पी.-04-आर.-2010-0149010 अंकित है। जो यह प्रकट करता है कि लायसेंस मूलतः भोपाल परिवहन कार्यालय से जारी हुआ था। आवेदक ने विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह कहा है कि एक बार लायसेंस जिस कार्यालय से जारी हो जाता है बाद में उसके नवीनीकरण या विस्तार होने पर उसका क्रमांक परिवर्तित नहीं होता। एक बार यदि इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाये तो भी जारीकर्ता के हस्ताक्षर के नीचे परिवहन कोड भोपाल की बजाय राजगढ़ परिवहन कार्यालय का होना आवश्यक था, परन्तु अनावेदक क्र. 1 ने ड्रायविंग लायसेंस की जो छायाप्रति प्रस्तुत की है उसका जारी किया जाना तो आर.टी.ओ. राजगढ़ के द्वारा लिखा है परन्तु जारीकर्ता के हस्ताक्षर के नीचे भोपाल परिवहन कार्यालय का कोड अंकित है। एक बार यदि इसे भी स्वीकार कर लिया जाये तो भी यह लायसेंस कम्प्यूटरीकृत रूप में जारी हुआ है। अतः लायसेंस क्रमांक एम.पी.-04-आर.-2010-0149010 में कोई भी परिवर्तन विस्तार या नवीनीकरण किये जाने की प्रविष्टि किसी भी स्थान पर देखी जा सकती है, परन्तु साक्षी श्याम यादव (अना.सा.-1) ने अपने कथन में यह बताया है कि वर्ष 2001 से भोपाल कार्यालय के कम्प्यूटरीकृत होने के बावजूद प्रडी-1 के दस्तावेज में इस बात की प्रविष्टि नहीं है कि उपरोक्त लायसेंस एच.टी.व्ही. वाहन को चलाने के लिए विस्तारित किया गया था। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह साबित पाया जाता है कि ६ टना दिनांक को अनावेदक क्र. 1 के पास एच.टी.व्ही. वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था।

16— जहां तक अनावेदक क्र. 1 के पास घटना दिनांक को एच.टी.व्ही. वाहन का लायसेंस नहीं होने के प्रभाव का प्रश्न है, इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने एस. अइय्यपन वि० युनाईटेड इं. इं. कं. लि. 2013 (3) दु.मु.प्र. 169 (एस.सी.) प्रस्तुत किया है जिसमें मान. उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक वैध प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो बीमा कर्ता का मुआवजे का भुगतान करना होगा। इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता उस धनराशि की वसूली के लिए बीमित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा। वर्तमान मामले में यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को

अनावेदक क्र. 1 जिस वाहन को चला रहा था उसके लिए उसके पास वैध ड्रायविंग लाइसेंस का नहीं होना बीमा कंपनी साबित करने में सफल रही हैं।

17- ओरिएण्टल इंफ़ोर्मेशन वि० अंगद कोल 2009 ए०सी०जे० 1411 (एस०सी०) के दृष्टांत में मान० उच्चतम न्यायालय ने मोटरयान अधि० की धारा 2 (10), 2 (14), 2 (21), 3, 10 एवं 14 (2) पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि हल्का मोटरयान एवं परिवहन यान के बीच विभेद है। परिवहन यान चलाने के लिए एक सुभिन्न अनुज्ञप्ति अपेक्षित होती है। परिवहन यान की चालन अनुज्ञप्ति तीन वर्षों के लिए ही जारी की जा सकती है, जबकि किसी अन्य अनुज्ञप्ति के मामले में वह 20 वर्षों तक प्रभावशील रहती है। जो अनुज्ञप्ति 20 वर्ष के लिए मंजूर की गई है, के संबंध में यह उपधारणा की जायेगी कि वह परिवहन यान से भिन्न किसी यान के लिए थी।

18- न्यू इंडिया इंफ़ोर्मेशन वि० त्रिवेणी बाई 2008 (3) दु०मु०प्र० 118 (म०प्र०) का दृष्टांत में मान० उच्च न्यायालय ने मोटरयान अधि० की धारा 2 (28), 2(44), 2(46), 2(14) एवं 2(47) पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि एक ट्राली माल के परिवहन हेतु निर्मित की जाती है और ट्रेक्टर द्वारा उसे खींचा जाता है तब दोनों ट्रेक्टर और ट्राली सम्मिलित रूप से माल वाहन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि ऐसे वाहन के संबंध में चालक अनुज्ञप्ति पर अलग से प्रविष्टि की जानी आवश्यक है तथा ऐसी अनुज्ञप्ति केवल 3 वर्षों के लिए ही जारी की जा सकती है।

19- न्यू इंडिया इंफ़ोर्मेशन वि० संतोष 2007 ए०सी०जे० 2778 का दृष्टांत की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि जो यात्री परिवहन यान में एक विवाह दल के सदस्य के रूप में यात्रा कर रहे थे वे परिवहन यान के उलट जाने के कारण घायल हो गये थे, तब मान० उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि बीमा कंपनी पालिसी की शर्तों को साबित कर देती है जिसका उल्लंघन हुआ है तब वह ऐसी दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। यूनाइटेड इंडिया इंफ़ोर्मेशन वि० सुजाता अरोरा 2013 (3) टी०ए०सी० 29 (एस०सी०) के दृष्टांत की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि वाहन चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जो बीमा की शर्तों का उल्लंघन था। तब मान० उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति का दायित्व चालक और वाहन स्वामी पर निरूपित किया है।

20- बजाज ए०जे०इंफ़ोर्मेशन वि० येन्नी सूर्या राव 2012 ए०सी०जे० 791 के दृष्टांत की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि दुर्घटना मोटरसाइकिल से हुई थी तथा चालक के पास हल्के मोटरयान चलाने का लाइसेंस था तब अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए हल्के मोटरयान चलाने का लाइसेंस वैध और प्रभावी है तथा बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी है। परंतु मान० उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ चालक के पास हल्के मोटरयान चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो वहाँ वह गियरयुक्त मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। कोई भी अनुज्ञप्ति किसी

विशिष्ट वर्ग के यान को चलाने के लिए ही दी जाती है। अतः ऐसे मामले में बीमा कंपनी को यह आदेश भी नहीं दिया जा सकता कि वह पहले आवेदक को क्षतिपूर्ति अदा करे और बाद में उसकी वसूली चालक और मालिक से करें।

21— न्यू इंडिया इ0क0लि0 वि0 प्रभुलाल 2008 ए0 सी0जे0 627 (एस0सी0) के दृष्टांत में मान0 उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि माल वाहन मोटरयान अधि0 की धारा 2 (47) के अंतर्गत परिवहनयान की श्रेणी में आयेगा तथा ऐसे वाहन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 यह अपेक्षा करती है कि चालक के ड्राइविंग लाईसेंस पर परिवहन वाहन चला सकने की प्रविष्टि अंकित हो। यदि ऐसा नहीं है तो उसे वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार दृष्टांत ओरियंटल इ0क0लि0 वि0 अंगद कोल 2009 ए0सी0जे0 1411 (एस0सी0) के दृष्टांत के मामले में भी मान0 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त का समर्थन किया है।

22— न्यू इंडिया इ0क0लि0 वि0 एम सुरेशप्पा 2013 ए0सी0जे0 1306 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि ऑटो रिक्शा जैसे परिवहन यान के द्वारा समान ढोया जा रहा था और चालक के पास प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति थी। मोटरयान अधि0 की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि ऐसा व्यक्ति परिवहन यान को चलाने के लिए लाईसेंस प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कम से कम उसे एक साल तक हल्के मोटरयान चलाने का अनुज्ञप्ति न हो। ऐसी स्थिति में मान0 कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह नहीं माना जा सकता कि चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस था, तथा वह परिवहन यान चलाने में सक्षम था। ऐसी स्थिति में यह भी माना गया कि अधिकरण इस बात का आदेश नहीं दे सकती थी कि बीमा कंपनी अधिनिर्णय की राशि अदा करें।

23— न्यू इंडिया इ0क0लि0 वि0 अनंतराम सावंत 2013 ए0सी0जे0 1234 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि चालक पर यह आरोप था कि उसने बिना वैध और प्रभावी लाईसेंस के स्कूटर चलाकर दुर्घटना कारित की थी। ऐसी स्थिति में मान0 बाम्बे उच्च न्यायालय ने यह माना गया कि बीमा कंपनी ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। एम कानन वि0 ए पाडियन 2011 (1) ए0सी0सी0डी0 155 (मद्रास) के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि बीमा कंपनी ने संतुष्टिजनक तरीके से यह साबित कर दिया था कि चालक के पास परिवहन यान चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था। ऐसी स्थिति में मान0 मद्रास उच्च न्यायालय ने यह माना था कि अधिकरण ने यह उचित आदेश दिया था कि वाहन स्वामी और चालक क्षतिपूर्ति अदा करें एवं बीमा कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

24— ओरियंटल इ0क0लि0 वि0 शिवरतन सिंह ए0आई0आर0 2011 छ0ग0 107 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि चालक को ड्राइविंग लाईसेंस 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया था

तथा लाईसेंस पर परिवहन यान चलाने की कोई स्वीकृति नहीं थी, ऐसी स्थिति में मान0 छ0ग0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि ऐसा चालक परिवहन यान चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दुर्घटना के समय परिवहन यान चलाया जाना बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है उसके द्वारा मोटरयान अधि0 की धारा 14 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। देवेश कुमार गुप्ता उर्फ दिनेश कुमार गुप्ता वि0 पंकज सिंह पेकरा 2010 (2) एम0पी0जे0आर0 छ0ग0 110 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि अधिकरण ने चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस नहीं होने के कारण वाहन स्वामी और ड्राइवर के उपर क्षतिपूर्ति का दायित्व निर्धारित किया था। तब मान0 छ0ग0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिकरण ने उचित रूप से बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त रखा है।

25— ब्रांच मैनेजर नेशनल इंडक0लि0 वि0 आर लक्ष्मणन 2002 ए0सी0जे0 1304 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि चालक के पास हल्के मोटरयान चलाने का लाईसेंस था, परंतु उसके द्वारा ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा था। प्रश्न यह उठा है कि क्या हल्के मोटरयान को चला सकने का अनुज्ञप्तिधारक ऑटो रिक्शा के हल्के वजन का वाहन होने के बावजूद उसे चला सकता था। तब मान0 मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि किसी ड्राइविंग लाईसेंस की वैधता केवल इस आधार पर आधारित नहीं होती कि वाहन का वजन क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक प्रकार के वाहन अलग मेकैनिजम, ड्राइविंग स्किल, एवं वाहन को संतुलित रखने की क्षमता के आधार पर चलाये जाते हैं। इसीलिए मोटरयान अधि0 में ड्राइविंग लाईसेंस जारी किये जाने के लिए उनके चलाये जाने की जांच के बाद लाईसेंस देने के लिए विभिन्न प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस के लिए मोटरयान अधि0 की धारा 3 के अंतर्गत उनके वैधता का दिनांक तथा वाहनों की श्रेणी दोनों आवश्यक है, इसलिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं मानते हुए मान0 न्यायालय ने यह कहा कि क्षतिपूर्ति के लिए केवल वाहन स्वामी ही उत्तरदायी है।

26— मैनेजर युनाइटेड इंडक0लि0 वि0 कमला बाई मुकुंद कुमरे 2012 ए0सी0जे0 1011 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति दिये जाने के अपने उत्तरदायित्व को इस आधार पर विवादित किया गया था कि वाहन चालक के पास आटो रिक्शा चलाने का वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस नहीं था, बल्कि वह घटना दिनांक को केवल मोटरसाइकिल चलाने का लाईसेंस रखता था। इस मामले में अधिकरण ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने तथा मालिक और चालक से वसूल करने का आदेश दिया था, परंतु मान0 बाम्बे उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जहाँ बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो वह अधिकरण को ऐसा निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ऐसा निर्देश केवल मान0 उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत ही दे सकती

है।

27— अप्पायाचारी वि० के० बेदीवेल 2014 ए०ए०सी० 2315 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि चालक के द्वारा बीमा की शर्तों का उल्लंघन इस रूप में किया गया था कि चालक के पास हल्के मोटरयान के चलाने का लाईसेंस था, जबकि उस पर परिवहन यान चला सकने की प्रविष्टि अंकित नहीं थी। ऐसी स्थिति में मान० कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यह बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन है तथा बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकरण में मान० न्यायालय ने यह भी कहा है कि नेशनल इ०कं०लि० वि० स्वर्ण सिंह ए०आई०आर० 2004 एस०सी० 1531 के दृष्टांत प्रत्येक मामले में सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि मान० उच्चतम न्यायालय ने ही यह स्पष्ट किया है कि यह दृष्टांत सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी पूर्व निर्णय नहीं है। इसलिए बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर बीमा कंपनी को भुगतान करने और बाद में वसूल करने को नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि मान० उच्चतम न्यायालय ने ही नेशनल इ०कं०लि० वि० पर्वथनेनी (2009) 8 एस०सी०सी० 785 के मामले में इस प्रश्न को मान० उच्चतम न्यायालय की बड़ी बेंच के द्वारा निर्णीत किये जाने के लिए रेफर भी कर दिया है।

28— मान० म०प्र० उच्च न्यायालय ने नेशनल इ०कं०लि० वि० विमला देवी 2 (2014) ए०सी०सी० 604 (म०प्र०) के मामले में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि ट्रेक्टर जो मोटरयान अधिनियम की धारा 2 (14) के अंतर्गत माल ढोने का वाहन नहीं था इसके बावजूद मृतक अहेतुक यात्री के रूप में मडगाड पर बैठकर यात्रा कर रहा था तथा दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी ऐसी परिस्थिति में बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण बीमा पालिसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। मान० मद्रास उच्च न्यायालय ने भी मैनेजर इफको टोकियो ज०इ०कं०लि० वि० जी रमेश 2013 ए०सी०जे० 1187 के मामले में भी यही अभिनिर्धारित किया है कि अहेतुक यात्रियों के द्वारा यात्रा किये जाने पर हुई दुर्घटना में अधिकरण के द्वारा बीमा कंपनी को इस बात को लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह पहले क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और बाद में उसकी वसूली करें, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में भी पालिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। यही स्थिति मान० अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने यूनाईटेड इ०इ०कं०लि० वि० ज्योति बाला धनश्याम जोशी 2013 ए०सी०जे० 952 के मामले में भी स्पष्ट की है और ये कहा है कि पालिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

29— नेशनल इ०कं०लि० वि० रामकली बाई 2012 ए० सी०जे० 1319 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि ट्रेक्टर और ट्राली का पंजीयन खेती के प्रयोजन से हुआ था। परंतु उसका उपयोग नदी से बालू ढोने के लिए किया जा रहा था, जो वाणिज्यिक प्रयोजन है। उसी समय हुई दुर्घटना में

अहेतुक यात्रियों को चोटे आई थी। तब अधिकरण ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने और बाद में वसूल करने का आदेश दिया था। परंतु मान० म०प्र० उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी परिस्थिति में अधिकरण के द्वारा यह आदेश नहीं किया जा सकता कि वह बीमा कंपनी को यह आदेश दे कि वह पहले क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और बाद में भुगतान करें।

30- यूनाइटेड इ०क०लि० वि० श्रीमती वैजयन्ती बाई 2011 (1) ए०सी०सी०डी० 65 (म०प्र०) के दृष्टांत में अधिकरण ने यह तो अभिनिर्धारित किया था कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि दुर्घटना से संबंधित वाहन खेती के प्रयोजन के लिए पंजीकृत था। परंतु अधिकरण ने यह आदेश दिया था कि बीमा कंपनी पहले क्षतिपूर्ति करें और बाद में उसे वसूल करें। परंतु मान० उच्च न्यायालय ने आदेश को इस रूप में संशोधित किया कि प्रकरण की परिस्थितियों में अधिकरण को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह बीमा कंपनी को इस प्रकार का निर्देश दे कि वह पहले क्षतिपूर्ति की राशि अदा करें तथा बाद में उसे वसूल करें। इस प्रकार बीमा कंपनी की अपील स्वीकार की गई। इस मामले में मान० उच्च न्यायालय ने राज बाई वि० न्यू इ०इ०क०लि० 2008 ए०सी०जे० 2017 के मामले पर निर्भरता प्रकट की है, जिसमें अधिकरण ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया था लेकिन अपील में मान० उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदा करने और वसूल करने का आदेश दिया था। परंतु मान० उच्चतम न्यायालय ने इसे उचित नहीं माना था। इसी प्रकार इस प्रकरण में इफको टोकियो ज०इ०क०लि० वि० शंकरलाल एम०पी०सी०डी० 2008 (2) (म०प्र०) 673 का भी उल्लेख है, जिसमें बीमा की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण न्यायालय ने यह माना था कि बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती।

31- यूनाइटेड इ०क०लि० वि० अनुबाई गोपीचंद ठाकरे 2008 ए०सी०जे० 213 के दृष्टांत में परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि बीमा कंपनी की शर्तों का मूलभूत उल्लंघन हुआ था। ऐसी स्थिति में विचारणीय बिंदु यह था कि क्या अधिकरण के पास इस तरह की विधिक शक्तियां हैं कि वह बीमा कंपनी को पालिसी की शर्तों के उल्लंघन वाले मामलों में भी यह निर्देश दे सकती है कि वह क्षतिपूर्ति का भुगतान करे और बाद में वसूल करें। मान० बाम्बे उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मोटरयान अधि० की धारा 168 अधिकरण को ऐसा निर्देश दे सकने की शक्तियां नहीं देती। ओरियंटल इ०क०लि० वि० मनोरमा 2013 (2) एम०पी०एल०जे० 100 के मामले में भी मान० उच्च न्यायालय ने अधिकरण के इस निर्देश को उचित नहीं माना था कि बीमा कंपनी शर्तों के उल्लंघन के बावजूद पहले क्षतिपूर्ति का भुगतान करें और बाद में उसकी वसूली करें। यही स्थिति ओरियंटल इ०क०लि० वि० मीरा 2011 ए०सी०जे० 23 के मामले में भी मान० शिमला उच्च न्यायालय ने यही कहा है कि बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

32— उपरोक्त विवेचना एवं न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अना0क0 3 बीमा कंपनी यह साबित करने में सफल रही है कि दुर्घटना दिनांक को अना0क0 1 के पास जिस वाहन को वह चला रहा था उसे चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नहीं था। इस प्रकार आवे0क0 1 और 2 के द्वारा ट्रक क्रमांक-पी.बी.-11-ए.ई.-9466 अना0क0 3 की बीमा कंपनी की पालिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया और चलवाया जा रहा था। अतः वाद प्रश्न क0 3 एवं 4 का निष्कर्ष 'साबित हुआ' के रूप में दिया जाता है तथा यह भी स्पष्ट है कि बीमा पालिसी के शर्तों के उल्लंघन में वाहन चलाये जाने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जा सकती।

वाद प्रश्न क. 5 का सकारण सहित निष्कर्ष

33— सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि दुर्घटना के समय मृतक की आय कितनी थी। मृतक के पिता भेरूसिंह (आ.सा.-1) ने अपने शपथ पत्र के कथन में पैरा 5 में कहा है कि उसका पुत्र हरदास 200/- रु. प्रतिदिन मजदूरी से कमा लेता था, परन्तु इस साक्षी ने मृतक की आय के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में न्यू इंडिया इं. कं. लि. वि0 कल्पना ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1243 के मामले में आमदनी के बारे में निश्चित साक्ष्य नहीं होने पर मान. उच्चतम न्यायालय ने 3000/- रु. मासिक आमदनी मानकर प्रकरण का निराकरण किया था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दृष्टांत के आलोक में यह माना जाता है कि दुर्घटना दिनांक को मृतक की आय 3000/- रु. प्रतिमाह थी।

34— मृतक घटना के समय स्थाई नौकरी में नहीं था इसलिए भविष्य की संभावनाओं के आधार पर उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। दावा में मृतक के वारिसों के रूप में माता-पिता के अतिरिक्त छोटे भाई जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे भी आश्रित होना बताया गया है। चूंकि छोटा भाई आवेदक क. 3 वयस्क हो चुका है। अतः उसे मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता। जहां तक व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च का प्रश्न है इस संबंध में रेशमा कुमारी विरुद्ध मदन मोहन 2013 ए.सी.जे. 1253 के पैरा 39 में यह कहा गया है कि इस संबंध में सरला वर्मा के निर्णय के पैरा 14 व 15 का सामान्यतया पालन किया जाना चाहिए। चूंकि मृतक अविवाहित है, अतः यह माना जायेगा कि वह अपनी आय का 50 प्रतिशत स्वयं पर खर्च करता था। इस बात का समर्थन आवेदक क. 3 के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत दृष्टांत रमेशचन्द्र विरुद्ध सावित्री 2010 ए.सी.जे. 2316 से भी होता है। इस प्रकार 50 प्रतिशत की कटौती करने के बाद मृतक की आय 2000/- रु. प्रतिमाह तथा 24000/- रु. वार्षिक होती है।

35— प्रकरण में यह अविवादित है कि आवेदक क. 1 व 2 मृतक के पिता और माता हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने मोह. अमीरुद्दीन विरुद्ध युनाईटेड इं. इं. कं. लि. (उपरोक्त) का दृष्टांत प्रस्तुत किया है और यह निवेदन किया है कि उक्त मामले में गुणांक माता की आयु के आधार पर नियत किया गया है। अतः वर्तमान मामले में भी ऐसा ही किया जावे। परन्तु म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ ग्रेटर

बाम्बे विरुद्ध लक्ष्मण अय्यर ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 4182, रमेशसिंह विरुद्ध सतबीर सिंह ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1233 के मामलों में मान. उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जहां केवल माता-पिता मृतक के आश्रित हो वहां आश्रित में से जिसकी उम्र अधिक हो उसके आधार पर गुणांक का चयन होता है। आवेदकगण के अधिवक्ता के द्वारा जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है उसमें उपरोक्त दृष्टांतों पर विचार नहीं किया गया है। इसलिए पूर्ववर्ती दृष्टांत प्रभावी होंगे तथा मृतक के पिता की उम्र जो अधिक है से गुणांक लगाया जायेगा।

36— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अमृत भानूशाली वि० नेशनल इं.कं. लि. 2013 (2) दु. मु.प्र. 298 (एस.सी.) का दृष्टांत प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि गुणांक का चयन मृतक की आयु पर आधारित होना चाहिए, परन्तु उपरोक्त दृष्टांत मुनिसिपल कारपोरेशन आफ ग्रेटर बाम्बे एवं रमेशसिंह विरुद्ध सतबीर सिंह में मान. उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि गुणांक ऐसे आश्रित की आयु पर आधारित होना चाहिए जिसकी उम्र अधिक है। पूर्ववर्ती दृष्टांतों पर पश्चात्पूर्वी दृष्टांत पर विचार नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत दृष्टांत आवेदक को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है।

37— इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक की आय 24,000/- रु. वार्षिक होती है। रेशमा कुमारी (उपरोक्त) के दृष्टांत के अनुसार मृतक के पिता की उम्र 40 वर्ष होने के कारण इस मामले में 15 का गुणांक लगेगा तथा इस प्रकार क्षतिपूर्ति की राशि कुल 3,60,000/-रु. होती है। मृतक के दाह संस्कार के लिए 25,000/- रु. को मिलाकर यह राशि कुल 3,85,000/-रु. होती है। इस प्रकार आवेदकगण कुल 3,85,000/- रु. अनावेदक क. 1 व 2 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

वाद प्रश्न क. 6 का सकारण निष्कर्ष

38— विचारणीय वाद विषय क 1 लगायत 5 में निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर संभावनाओं की बहुलता के आधार पर यह पाया जाता है कि आवेदक क. 1 व 2, अनावेदक क. 1 व 2 के विरुद्ध अपना आवेदन अन्तर्गत धारा 166 व 140 मोटरयान अधिनियम को प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलस्वरूप आवेदक क. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार एवं आवेदक क. 3 का आवेदन निरस्त करते हुए निम्नालिखित रूप में अधिनिर्णय पारित किया जाता है—

- (क) आवेदक क. 1 व 2, अनावेदक क. 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक्तः रु० 3,85,000/- (तीन लाख पचासी हजार रु०) क्षतिपूर्ति तथा उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 21.10.2013 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसे अनावेदक क. 1 व 2 30 दिवस में न्यायालय में जमा करावे।
- (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदकगण 1000/- रु० वाद व्यय के रूप में भी अनावेदक क. 1 व 2 से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
- (ग) विचारण के दौरान यदि अन्तरिम क्षतिपूर्ति दी गई है तो वह अन्तिम अधिनिर्णय में समायोजित होगी।

- (घ) राशि वसूल होने पर आवेदक क. 1 व 2 को आधा-आधा राशि प्राप्त होगी जिसमें से 75,000-75,000 /-रु. की राशि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाता के माध्यम से वह तत्काल दी जावेगी तथा शेष राशि का आधा-आधा दोनों के नाम से 03 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा किया जावे। समय पूर्व आहरण अथवा उस पर ऋण लेने के पहले इस अधिकरण की अनुमति आवश्यक होगी। तदनुसार अधिनिर्णय पारित किया गया।
व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित,
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(सी.एम. उपाध्याय)
प्रथम अपर दुर्घटना दावा अधिकरण
अलीराजपुर(म0प्र0)

(सी.एम. उपाध्याय)
प्रथम अपर दुर्घटना दावा अधिकरण
अलीराजपुर(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)